Fourteenth Loksabha

Session : 13
Date : 26-02-2008

Participants : Rawat Prof. Rasa Singh

>

Title: Need to provide compensation to the farmers of Rajasthan whose crops have been affected due to frost and cold waves prevailing in the region.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, राजस्थान में पिछले दिनों बर्फीली हवाओं और कई दिनों तक चलने वाली शीतलहर के कारण पाला पड़ने से राज्य के लगभग 1,37,287 किसान प्रभावित हुए हैं। इससे 8.96 लाख हेक्टेयर भूमि में बोई गई फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस शीतलहर के कारण राज्य के 22 जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। 39.8 प्रतिशत फसली नुकसान माना गया है। 3.45 लाख हेक्टेयर भूमि में 50 प्रतिशत फसलें प्रभावित हुई हैं। 3.39 लाख हेक्टेयर भूमि में सरसों की फसल तथा 700 हेक्टेयर भूमि में बोई गई मसालों की फसलें बर्बाद हुई हैं। निरंतर होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण मौसम की भी अनिश्चितता हो गई है। महंगे भाव के बीज, खाद, पानी, बिजली, मेहनत आदि लगाकर जैसे-तैसे खून पसीना बहाकर फसलें बोई गईं और फसल भी इस बार अच्छी थी, परंतु शीतलहर के कारण सभी फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है।

अभी तक केन्द्रीय आपदा राहत निधि और राट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि में बाढ़ अथवा भयंकर अकाल, दुर्भिक्ष या सूखे आदि के कारण नट होने वाली फसलों की भरपाई के लिए ही राहत एवं मुआवजा देने का प्रावधान है। परन्तु अब इन निधियों के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता के प्रावधानों को तुरंत बदलने की आवश्यकता है। इन निधियों के सहायता के प्रावधानों में शीतलहर, पाला, दाहहिली, लू, गर्मलहर, टारनैडो और हरिकेन आदि से होने वाले फसलों के नुकसान की भरपाई हेतु भी राहत देने का प्रावधान होना चाहिए।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के लाखों किसानों की शीतलहर और पाले से हुई फसलों की भारी बर्बादी का तुरंत मुआवजा प्रदान किया जाए, जिससे किसानों के नुकसानों की भरपाई हो सके और वे आत्महत्या की ओर अग्रसर न हों। इसके लिए राट्रीय आपदा निधि एवं राट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (NRF एवं NCCF) के प्रावधानों में तुरंत प्रभाव से परिवर्तन किया जाए।